



परिशिष्ट-IV –ए नियम 9(1) का प्रावधान देखें, अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमए 2002 के नियम 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई-नीलामी बिक्री सूचना
एतद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक(की) तथा गारन्टर (की) को सूचित किया है कि प्रतिभूत क्रेडिटर के पास गिरवी / चाण्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडियाए प्रतिभूत क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा लिया गया है, कि नीचे वर्णित ऋणधारकों एवं गारन्टरों से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बकाये की वसूली के लिए एन.डी.ए.201 का "जैसे है जहाँ है" "जो भी जैसा है" तथा "जो कुछ भी वहाँ है" आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान संबंधित सम्पत्तियों के विवरणों के समक्ष प्रदर्शित किया गया है। बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया www.centralbankofindia.co.in अथवा <https://ibapi.in> में दी गई लिंक देखें। 29.01-2021 को नीलामी की जाने वाली सम्पत्तियाँ का विवरण (15 दिनों की सूचना)

क्र.सं.	शाखा का नाम	प्राधिकृत अधिकारी एवं फोन नं.	खाता का नाम	प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण	मौल्य सूचना लिखित एवं बकाया राशि (रु. लाख में)	कब्जा की तिथि एवं प्रकार	आरक्षित मूल्य ईएमपी बोली बुद्धि राशि
1.	भागीरथ पैलेस	श्री आशुतोष कुमार 9999463960	सरिता शर्मा	फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट नं. 1, फ्लैट नं. 1-बी, प्रा. फ्लैट नं. एफ-5, प्रथम तल छत अधिकार के बिना, ओम नगर, गली नं. 5, जीटी रोड एवं मोहन नगर के पास, साहीबाबाद, गाजियाबाद, उ.प्र., परिमाण-55.74 वर्ग मीटर (स्वामी-सुनील शर्मा)	02.04.2018 रु. 22.11 लाख + अन्य शुल्क लागू	भौतिक 20.09.2019	रु. 13.50 लाख रु. 1.35 लाख रु. 0.15 लाख
2.	दरियागंज	श्री संतोष अग्रवाल 8800013511	स्टार मैनुफैक्चरिंग कंपनी	खाली आवासीय प्लॉट / जमीन नं. एफ-153-ए/1 (एफ-153-ए/1 की नं. को से जाना जाता है।) खसरा नं. 57/1, गांव खुरेजी खास आबादी रमेश पार्क, जे पी वेस्ट, लक्ष्मी नगर इलाका शाहदरा, दिल्ली में स्थित माप 100 वर्ग गज (स्वामी राजामत अली)	12.09.2018 रु. 184.17 लाख + अन्य शुल्क लागू	भौतिक 17.05.2019	रु. 56.00 लाख रु. 5.60 लाख रु. 0.6 लाख
3.	गाजियाबाद	श्री गौरव त्यागी 9999467102	राहुल कुमार पुत्र कृष्ण लाल	2 बीएचके फ्लैट तीसरा तल फ्लैट नं. 09, प्लॉट नं. 10, बी-09, सेक्टर-10, पॉकिके-10बी, चौरजीव विहार, गाजियाबाद, उ.प्र. माप 56.00 वर्ग मीटर (स्वामी राहुल कुमार)	03.03.2018 रु. 16.84 लाख + अन्य शुल्क लागू	भौतिक 28.08.2018	रु. 13.50 लाख रु. 1.35 लाख रु. 0.15 लाख
4.	इन्दिरापुरम	श्री अनिल कुमार 9873303102	मैरव घोष	आवासीय बिल्डर फ्लैट, दूसरा तल फ्लैट नं. एस-2, प्लॉट नं. 88, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-1, गाजियाबाद, उ.प्र., माप-520 वर्ग फीट (स्वामी श्री मैरव घोष)	31.10.2015 रु. 17.77 लाख + अन्य शुल्क लागू	भौतिक 09.09.2017	रु. 14.50 लाख रु. 1.45 लाख रु. 0.15 लाख
5.	इन्दिरापुरम	श्री अनिल कुमार 9873303102	बिन्धेश्वर	आवासीय बिल्डर फ्लैट नं. एफ 2/54, प्लॉट नं. 54 पर पीछे निर्मित, नवीन पार्क, हैडवास्ट, गांव जंगोला, परगना-लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद-201005 (श्रीमति कोमल भटनागर) माप 400 वर्ग फीट	02.08.2019 रु. 18.09 लाख + अन्य शुल्क लागू	भौतिक 04.02.2019	रु. 11.15 लाख रु. 1.15 लाख रु. 0.15 लाख
6.	कोरलबाग	श्री एस के पाण्डे 9999917126	राजपाल जैन	प्रथम तल, आवासीय फ्लैट 4 मंजिला इमारत में स्ट्रीट पार्किंग के साथ सम्पत्ति नं. 1/6110 के बायीं तरफ, गली नं.1, ईस्ट रोहास नगर, शाहदरा, गाजियाबाद-110032 में स्थित, माप 735 वर्ग फीट (स्वामी रेखा जैन)	29.10.2018 रु. 18.22 लाख + अन्य शुल्क लागू	भौतिक 12.04.2019	रु. 36.25 लाख रु. 3.63 लाख रु. 0.40 लाख
7.	कोरलबाग	श्री एस के पाण्डे 9999917126	सत ज्वैलर्स	सम्पत्ति बियरिंग म्यूसियम नं. 2525 एवं 2526, वाई नं. XVI, ब्लॉक एम, शॉप नं. 4 एवं 5, गली नं. 6 एवं 7, बेडोनापुरा, कोरलबाग, दिल्ली माप-309.59 वर्ग फीट (स्वामी रमेश चन्द्रा एवं अक्षय जैन)	05.09.2017 रु. 78.83 लाख + अन्य शुल्क लागू	भौतिक 28.02.2018	रु. 72.00 लाख रु. 7.20 लाख रु. 0.75 लाख
8.	न्यू सीलमपुर	श्री एम के गुप्ता 7428536228	मोहम्मद अरशद	आवासीय प्रथम तल, सम्पत्ति नं. आर-10/एफ-31 सेक्टर 10, राज नगर, जिला गाजियाबाद, उ.प्र. (स्वामी-मोहम्मद अरशद) माप 549 वर्ग फीट	06.10.2018 रु. 41.29 लाख + अन्य शुल्क लागू	भौतिक 05.09.2019	रु. 25.00 लाख रु. 2.50 लाख रु. 0.25 लाख
9.	उसमानपुर, दिल्ली (आईटी पार्क)	श्री एम के गुप्ता 7428536228	राम दर्शन राम	एएमआईटी फ्लैट नं. जीएफ-2 (छत अधिकार के बिना), प्लॉट नं. बी-12/11, डीएलएफ अंकुर विहार, गांव सदुलाबाद, परगना लोनी, जिला-गाजियाबाद, उ.प्र. माप-700 वर्ग फीट (स्वामी रामदर्शन राम)	23.10.2018 रु. 22.26 लाख + अन्य शुल्क लागू	भौतिक 19.02.2019	रु. 11.6 लाख रु. 1.16 लाख रु. 0.15 लाख

ई-नीलामी तिथि : 29.01-2021 समय 12.00 बजे दोहराई से 4:00 बजे अप. तक 10 मिनट के सतत: विस्तार के साथ ईएमपी एवं दस्तावेज (ऑनलाइन) जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय : 28.01.2021 के 04:00 बजे अप. तक। बोलीदाता को <https://www.mstcecommerce.com> पर पंजीकरण करना होगा तथा सेवा प्रदाता द्वारा कोवाईसी दस्तावेजों की जाँच के बाद कोवाईसी दस्तावेजों का अपलोड करना होगा। ईएमपी का भुगतान एनईएफटी/आरटीए/अंतरण <https://www.mstcecommerce.com> से बालान के जनेरेशन के बाद के माध्यम से ग्लोबल ईएमपी बैटल में किया जायेगा। नीलामी का संवाचन बैंक के स्वीकृत सेवा प्रदाता द्वारा <https://www.mstcecommerce.com> पर किया जायेगा।

ई-नीलामी का आयोजन "जैसे है जहाँ है", "जो भी जैसा है" तथा "जो कुछ भी वहाँ है" आधार पर बिक्री कीया जायेगा। विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया www.centralbankofindia.co.in प्र. प्रतिभूत क्रेडिटर अथवा नीलामी प्लेटफॉर्म <https://www.mstcecommerce.com> में दी गई लिंक देखें हेमलाइन नं. 033-22901004 सर्फेसी अधिनियम 2002 की धारा 9(1) के तहत 15 दिनों की बिक्री सूचना

एतद्वारा ऋणधारक/गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि ई-नीलामी की शेषि से पूर्व अज्ञात ब्याज तल अनुषंगिक खर्च के साथ उपरोक्त राशि का भुगतान करें, अन्यथा सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जायेगी तथा शेष देयता यदि कोई हो ब्याज तथा लागतों के साथ वसूल की जायेगी।

बी.ए. के. गुप्ता, मो. 7428536228, प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक : 13.01.2021, स्थान : दिल्ली

विषय सूची शर्तें:
(1) अधोलिखित द्वारा यह बिक्री 16.01.2020 (12:00 बजे अप. से 2:00 बजे अप.) को वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com> पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के द्वारा की जायेगी। इष्टुक बोलिदाता/केताओं से अनुरोध है कि अपने मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई डी का उपयोग करने एवं पोर्टल <https://www.mstcauction.com> पर पंजीकरण करावें। पुनः उपरोक्त आह्व है कि कोवाईसी दस्तावेजों को अपलोड करें। ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा कोवाईसी दस्तावेजों की एक बार जाँच कर लेने के बाद (नियम 2 कार्य दिवस तथा सप्ताह) ई.इष्टुक बोलिदाता/केता को नीलामी के समय से पूर्व अधिम में अपने ग्लोबल ईएमपी बैटल में ऑनलाईन पडवती का प्रयोग करने एवं ईएमपी राशि अंतरित करना होगा। यदि ईएमपी राशि ग्लोबल ईएमपी बैटल में उपलब्ध नहीं होती है तो सिस्टम में बोली की अनुमति नहीं दी जायेगी। पंजीकरण, कोवाईसी दस्तावेजों की जाँच तथा बैटल में ईएमपी का अंतरण नीलामी से पूर्व अधिम में किया जायेगा। बोलिदाता एक या सभी सम्पत्तियों के लिए अपील करने हेतु दस दिनों के अंदर ई.इष्टुक बैटल में अपना ईएमपी होने के बाद ही इष्टुक बोलिदाता नीलामी की तिथि को बोली करने के लिए योग्य होंगे। बोलिदाता के ग्लोबल बैटल में बोली के समय में पंथापन योग्य (>=) ईएमपी राशि होती बाएएए। सबसे अधिक सम्पत्ति के लिए प्रस्तावों के मामले में बोलिदाता को प्रत्येक सम्पत्ति के लिये ईएमपी जमा करना होगा। (2) उपरोक्त धरोहर राशि भुगतान (ईएमपी) राशि का भुगतान बोलिदाता के ग्लोबल ईएमपी बैटल में एनईएफटी/अंतरण <https://www.mstcecommerce.com> से बालान निष्पन्न के बाद ऑनलाईन किया जायेगा। एनईएफटी अंतरण किसी अनुसूचित बणिक्किय बैंक से ही किया जा सकता है। बैंक जैसे किसी अन्य पडवति से ईएमपी का भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपने बैटल में बाडिबत बोलिदाता का भुगतान नहीं करने वाले बोलिदाताओं को स्वीकार कर लिया जायेगा तथा उन्हें ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। जमा की गई धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दी जायेगी। असफल बोलिदाता की ईएमपी बिना किसी ब्याज के वापस लौटा दी जायेगी। (3) ई-नीलामी के लिये प्लेटफॉर्म <https://www.mstcecommerce.com> हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता एएमएसटीसी लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी जिसका पंजीकृत कार्यालय है: 225-सी. ए.जे.सी. बॉय रोड, कोलकाता-700020, इष्टुक बोलिदाता केता को ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com> पर ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना होगा। इस सेवा प्रदाता द्वारा पॉलिन एवं ई-नीलामी पर ऑनलाईन डेमोनेस्ट्रेशन/प्रदर्शन भी दी जायेगी। बिक्री के सामान्य नियमों एवं शर्तों से सम्बंधित बिक्री सूचना बैंक की वेबसाइट/वेबपेज पर उपलब्ध है: <https://www.centralbankofindia.co.in>, <https://ibapi.in> तथा <https://www.mstcecommerce.com> पर भी उपलब्ध है। ई-नीलामी के इष्टुक भारीदार बिक्री सूचना, ई-नीलामी के नियमों एवं शर्तों, ई-नीलामी से सम्बंधित ई-नीलामी के प्रचलनसम्बंध भाग पर हेमलाइन की प्रतियाँ 0 - B - IBAPI प्लेटल <https://ibapi.in> से नि:शुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। (4) जमा की जाने वाली बोली मूल्य आरक्षित मूल्य के बराबर या उसके ऊपर होती तथा ई-नीलामी के दौरान बोलिदाता को कोट की गई अधिम बोली से ऊपर तथा अधिक तथा बोलिदाता की अधिम उच्च बोली के लिए उपर तालिका में दी गई बोली राशि में न्यूनतम बुद्धि द्वारा इंटरनल बडिग में उच्च बोली के प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जायेगी। सम्पत्ति को ऑनलाईन राशि राशि निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जायेगा। आरक्षित मूल्य से नीचे कोई भी बोली निरस्त कर दी जायेगी। बोलिदाता सर्वजनिक बिक्री सूचना / बिक्री के नियमों एवं शर्तों में निर्दिष्ट राशि के गुणकों में अंतिम बोली में सूचित कर सकते हैं। अधिम दस मिमटों में बोली की प्राप्ति के मामले में 10 मिमट का अंतिमति विस्तार दिया जायेगा। सम्पत्ति उच्च बोली कोट करने के लिए बोलिदाता को दस मिमटों का समय दिया जायेगा तथा यदि दस मिमटों की समाप्ति के बाद किसी बोलिदाता को कोट उच्च बोली प्रस्तुत नहीं की जाती है तो ई-नीलामी बंद कर दी जायेगी। (5) ई-नीलामी के प्रचलनसम्बंध भाग पर सामान्य हेमलाइन का उपलब्ध रूप से अध्ययन कर ले तथा पूरी तरह से उत्पाक पालन करें। (6) किसी प्रकार की कठिनाई अथवा ई-नीलामी प्रक्रिया से पूर्व अथवा उसके दौरान यदि किसी सहायता की जरूरत हो तो हे हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता <https://www.mstcecommerce.com> के प्राधिकृत प्रतिनिधि से सम्पर्क करें जिसका विवरण ई-नीलामी पॉलिन पर उपलब्ध है। (7) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-नीलामी के निर्धारण के बाद केवल सफल बोलिदाता को ही हमारे उपर वर्णित सेवा प्रदाता द्वारा एएमएसटीसी/ई-मेल द्वारा (उपरोक्त द्वारा दी गई सेवा प्रदाता के पास पंजीकृत मोबाइल नं./ई-मेल एवं पत्र) इसकी सूचना दी जायेगी। (8) सफल बोलिदाता को उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस तक एनईएफटी/आरटीए राशि द्वारा भुगतान करना होगा तथा शेष राशि का भुगतान बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जायेगा। निर्धारित समय में उपरोक्त राशि के भुगतान में बृक करने पर सफल बोलिदाता द्वारा जमा की गई राशि बैंक के लिये जम्ब कर दी जायेगी तथा प्राधिकृत अधिकारी ई-नीलामी / सम्पत्ति की बिक्री करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा बृक करने वाले केता का जम्ब की गई राशि तथा सम्पत्ति पर कोई वादा नहीं होगा। (9) भुगतान में बृक: उसी दिन अथवा उपलब्ध रूप में अगले कार्यदिवस तक 25% बोली राशि (ईएमपी को बतानकर) एवं/अथवा निश्चित समय में शेष 75% बोली राशि के भुगतान में बृक करने पर बिड किसी सूचना के बोली तथा: रुद्ध हो जायेगी। सफल बोलिदाता द्वारा प्रदत्त ईएमपी तथा अपर राशि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जम्ब कर दी जायेगी। (10) सफल बोलिदाता द्वारा बैंक को बिक्री राशि का भुगतान आवक अभिव्यक्ति, 1961 की धारा 194-आए के अंतर्गत टीडीएस के अधीन होगा तथा सफल बोलिदाता को शेष 75% बोली राशि के भुगतान के समय में ही टीडीएस का भुगतान करना होगा। (11) सम्पत्ति बिक्री राशि की प्राप्ति पर प्राधिकृत अधिकारी नियमों के अनुसार बिक्री प्रमाण पत्र जारी करेंगे। केता को बिक्री प्रमाणपत्र, पंजीकरण शुल्क, सरकार/किसी अन्य प्राधिकरण को देय सभी सार्वजनिक देवताओं, करों, जीएसटी तथा रेन्डम, सम्पत्तियों से संबंधित नमान तथा भविष्य दोनों के लिए स्टाम्प सटोपि कर का हसन करना होगा। (12) बिक्री प्रमाणपत्र में बोली में वर्तित नामों के अतिरिक्त बिक्री अन्य नामों को शामिल /मध्यस्थित करने के लिए किसी अनुरोध पर विचार नहीं की जायेगी। बिक्री प्रमाणपत्र केवल बोलिदाता के नाम में ही जारी की जायेगी। (13) बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के विरुद्ध हीआरटी/डीआरपी/उच्च ब्याजपालन अथवा बिक्री अन्य कोर्ट द्वारा पारित किसी स्थगन/इंजक्शन/प्रतिबंध के प्रचलन लम्बित रहने के दौरान बिक्री प्रमाणपत्र जारी नहीं की जायेगी। अगे, इस अवधि के दौरान जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दी जायेगी। बिक्री प्रमाणपत्र का निष्पादन लम्बित रहने के दौरान सफल बोलिदाता द्वारा जमा की गई राशि गैर-ब्याज वाली जमा खाता में रखी जायेगी। बिक्री के अधिकार अथवा सम्पूर्ण/निरस्तन की स्थिति में जमा की गई राशि की वापसी के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं की जायेगी। हीआरटी/डीआरपी/उच्च ब्याजपालन अथवा किसी अन्य ब्याजपालन द्वारा अगे कार्यावाही की स्थिति में नीलामी को रोकें या निरस्त कर दी जायेगी तथा बिक्री में भाग लेने वाले व्यक्तियों का इस निष्पन्न अथवा निरस्त के लिये हानियों, क्षतिपूर्ति, अथवा क्षानत के लिए दायर करने का कोई अधिकार नहीं होगा। (14) प्राधिकृत अधिकारी/बैंक को बिना किसी पूर्व सूचना के तथा यदि पूर्व के बोलिदाता निष्पादन करने में विफल होते हैं तो निष्पादन करने के लिए अगले उच्च बोलिदाता को आमंत्रित करने सहित बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को ब्याज या निरस्त करने अथवा बिक्री को स्थगित/निष्पन्न / रुद्ध करने / बिक्री के किसी भी नियमों एवं शर्तों में संशोधन करने का सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है। (15) इष्टुक को अपने स्वयं के खर्च पर उपरोक्त लिख एवं समय पर सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। बैंक में उपलब्ध बोलिदाता दस्तावेज से सम्पर्क कर निरीक्षण के लिये इष्टुक बोलिदाता 16.01.2021 से पूर्व कार्यालय के दौरान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से सम्पर्क करें करेंगे। (16) सम्पत्ति की बिक्री "जैसा है जहाँ है", "जो भी जैसा है" तथा "जो कुछ भी वहाँ है" आधार पर की जा रही है तथा इष्टुक केता अधिकारी तथा बिक्री कर आबकारी/जीएफटी / आयकर विभाग तथा बैंक के भारता जैसे किसी अन्य प्राधिकरण के अधिकारी तथा बदा/अधिकारी/वेबसाइट/आभारी के विषय में सम्बंधित रिजिस्ट्रार/एसआरओ/राजस्य अधिकारियों/अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरणों से अपने स्वयं के हित में प्रस्ताव पुराण एवं जमा कर ले तथा अपनी बोली जम्ब करने से पूर्व सम्पत्ति पर ट्राइल के प्रकार, विवरण, विस्तार, गुणवत्ता, भाग, स्थिति, अधिकार, लिपण, वात, सार्वजनिक देवताओं आदि के विषय में स्वयं को सतृष्ट कर ले। यह ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी प्राधिकृत अथवा किसी प्रतिनिधिकता का गठन नहीं करता है तथा उसे ऐसा करना उच्च नहीं माना जायेगा। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत क्रेडिटर किसी भी रूप में किसी तीसरी पार्टी के लिये/अधिकारी/परपन्न को छोड़कर (यदि कोई हो) देवताओं के लिये उत्तरदायी नहीं होगा। ऑनलाईन नीलामी जमा करने के बिना किसी के लिये रखी गई राशि पर वाज्ज/अधिकारी/अथवा सम्पत्ति से सम्बंधित किसी अन्य विषयों आदि से सम्बंधित किसी की दावे पर विचार नहीं की जायेगी। (17) यह बैंक बिक्री के लिए प्रस्तावित सम्पत्ति के संदर्भ में कोई भी अनुमति/निष्पन्न, पंथनसी आदि प्राण करने अथवा किसी भी बकाये जैसे जमा/ सेवा प्रमात, वाज्ज, अंतरण शुल्क, निजनी के बकाये, नगर निगम/स्थानीय प्राधिकरण / को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी अथवा किसी अन्य देवताओं, करों, लेवीज, शुल्कों, जमा सम्पत्ति की सेवा से सम्बंधित अंतरण शुल्कों, यदि कोई हो, जैसी किसी भी देवताओं के लिये कोई उत्तरदायीता नहीं लेता है। (18) यह बिक्री बैंक द्वारा की गई अधिम बोली (19) यह बिक्री सर्फेसी अधिनियम, 2002 तथा उसके अंतर्गत निर्मित में निर्दिष्ट नियमों/लगाव/नियमों तथा उपरलिखित शर्तों के अधीन होगा। आगे विवरणों, यदि कोई हो, के लिये सम्बंधित बोलिदाता प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।